

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/1033L

दिनांक :- 12/2/2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

समस्त विधि महाविद्यालय/संस्थान,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

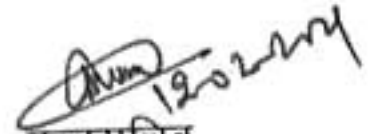
विषय:- विधि विषय में स्ववित्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

संज्ञान में आया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध कतिपय विधि महाविद्यालयों/संस्थानों में भारतीय विधिज्ञ परिषद के मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षक कार्यरत नहीं है। जिस कारण महाविद्यालयों/संस्थानों में पठन-पाठन का कार्य सही प्रकार से नहीं सम्पन्न नहीं किया जा रहा है।

अतः निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त विधि महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी 15 दिवसों में अपने महाविद्यालय/संस्थान में भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जिन विधि महाविद्यालयों/संस्थानों में मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षक कार्यरत नहीं है। उन संस्थानों/महाविद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन संस्थानों/महाविद्यालयों के नाम भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिये जाएंगे।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. व्यक्तिगत सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
03. संकायाध्यक्ष, विधि, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)